CHETANA
International Journal of Education
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))

Impact Factor
SJIF 2022 = 6.261

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Research Paper

Received on 31.08.2022
Reviewed on 08.09.2022
Accepted on 11.09.2022

भारत में मानवाधिकारों का एक अध्ययन

*रोहिणी केलूत

प्रस्तावना

मानव अधिकार के बारे में समयानुसार विभिन्न विचारों एवं परिस्थितियों में जन्म लिया है। आदिकाल से ही मानव जाति मे चेतना की अभिवृद्धि होती आयी है। चूंकि मनुष्य जन्म के साथ ही अधिकारों का उद्भव हो गया था। अतः प्राचीन काल में मानव के अधिकारों पर प्राकृतिक रूप में सभी का समान अधिकार था परन्तु इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण प्रयास इंग्लैण्ड में 1215 में मैग्नाकार्टा विधान द्वारा हुआ था जहां मानव अधिकारों को सही रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। मानव अधिकारों का विषय केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक कल्याणकारी राज्य व समाज के सम्पूर्ण विकास पर आधारित है।विश्व में हुई प्रमुख क्रान्तियों के पीछे भी मानव के अधिकारों का विषय कहीं न कहीं अवश्य जुड़ा था। 19वीं शताब्दी में फ्रांस की राज्य क्रान्ति के पश्चात मानव अधिकारों को विश्व समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा। प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध के समय काफी बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हुआ, वहीं से इन अधिकारों की रक्षा व संरक्षण करने के लिए बनी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। जहाँ विश्व की प्रमुख महाशक्तियों ने मानव अधिकारों के लिए एकमत होकर कार्य करने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा मानवाधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता व सम्मान प्राप्त हुआ है।भारत में मानवाधिकारों का उल्लेख प्रमुख रूप से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में किया गया है। प्राचीन से लेकर वर्तमान तक की विकास यात्रा में मानव को अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष मानव अधिकारों का संघर्ष ही था। देश में स्वतंत्रता से पूर्व ही मानव अधिकारों के प्रति चेतना जागृत होने लगी थी।वस्तुतः स्वतंत्र भारत में कानून व व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस विभाग को सबसे दायित्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। क्योंकि देश की आन्तरिक कानून व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पुलिस पर ही निर्भर है।यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय पुलिस का पुर्नगठन नहीं किया गया था। वस्तुतः आज भी भारतीय पुलिस 1861 में बने ब्रिटिश अधिनियम से ही संचालित हो रही है। चूंकि यह अधिनियम ब्रिटिश शासन की सुरक्षा के लिए बना था जिसको स्वतंत्रता के बाद बार–बार बदलने की सिफारिशें कभी केन्द्र सरकार तो कभी राज्य सरकारों से ली जाती रही है। परन्तु इस पर कभी भी गम्भीरता से कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही कारण रहा है कि देश में आज भी पुलिस मानवाधिकारों का हनन कर रही है।

मानवाधिकारमनुष्य से गहराई से जुड़ते है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षार्थ एवं संरक्षण के उद्देश्य से पुलिस का गठन किया गया है। समाज में भी पुलिस संगठन जितना अधिक नागरिकों से जुड़ा है उतना कोई अन्य संगठन नहीं है। परन्तु यह एक

कड़वा सत्य है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी कई बार मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। समाज की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में न केवल नागरिक बल्कि पुलिस संगठन भी प्रभावित होता है क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग समाज से ही निकले हुये है वे कौन से कारण है जो समाज से पुलिस बल में जाते है ही व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है। वह मानवाधिकारों के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में विस्तृत विवेचन किया गया है।

अधिकारों के बढ़ते हुए क्रम में जब हम मानवाधिकारों की बात करते है तो पाते है कि मानवाधिकारों की अवधारणा अधिकारों की अपेक्षा अधिक व्यापक अवधारणा मानी जाती है। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों व पर्यावरण से होता है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने व व्यक्तित्व का विकास तथा निर्माण करने के लिए अनिवार्य होती है। इस दृष्टि से मानवाधिकारों की परिधि में केवल प्राकृतिक उपहार जैसे हवा, जल इत्यादि ही नहीं आते बल्कि इनके साथ–साथ ससम्मान जीने, पोषण व रक्षण प्राप्त करने सहित वे सभी उपागम जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अपरिहार्य है।जैसे – रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, संस्कृति आदि आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है। व्यक्ति के लिए अपरिहार्य इन सब सुविधाओं को अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य समझते हुए अपनी–अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप यहां की राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं मूलभूत कानूनों में स्थान जाता है। जिनको मूलभूत या मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। ''यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मूलभूत अधिकारों व मानवाधिकारों में कुछ बुनियाद रूप से भिन्नता अवश्य है। सभी मूल अधिकारों को मानवाधिकार की श्रेणी के अन्तर्गत रखा जा सकता है। उदाहरणार्थ मत देने का अधिकार की श्रेणी के अन्तर्गत रखा जा सकता है। उदाहरणार्थ मत देने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि सभी मूल अधिकार है, न कि मानवाधिकार, क्योंकि इन अधिकारों के बिना भी मनुष्य अपना अस्तित्व कायम रख सकता है जैसा कि समाजवादी देशों में होता था। इसके विपरीत जीने एवं सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार मूलभूत अधिकार है और मानवाधिकार भी क्योंकि इनके अभाव में मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

संस्कृति की धारा में मानवाधिकार की अवधारणा वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों में भी दिखायी पड़ती है। अर्थवेद में कहा गया है कि मानव एक व्यक्ति मात्र नहीं अपितु वह एक सामाजिक प्रणाली का अंग है। परमात्मा उसी को प्रेम करता है जो कि अन्य इंसानों, जानवरों तथा प्राणियों की सेवा करता है अथवा जीवन देता है। वाल्मिकी रामायण में कहा गया है कि :–

हे राघव! मिथ्या अपराधों के कारण दण्डित लोगों की आंखों से गिरने वाले आंसू अपने भोग–विलास के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते है।कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मानवाधिकारों की बात उठाई गई है। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रों कुरान, बाईबिल, धर्म या बौद्धधर्म की शिक्षाओं में भी मानव की परस्पर बराबर भाईचारे या मर्यादा का संकेत मिलता है। प्राचीन पश्चिमी विचारकों ने भी मानवीय मर्यादा, सौहार्द एवं सुरक्षा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

विभिन्न राजनीतिक विचारक यह मानते है कि अधिकार व्यक्ति पर राज्य द्वारा किया गया कोई उपकार नहीं है। बल्कि वर्तमान में मनुष्य जिन अधिकारों का उपयोग कर रहा है। उनमें से अधिकांश उसे जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्राप्त होते है। जिनका उपभोग मानव अपनी सभ्यता के उषाकाल से ही रीतियां, परम्पराओं व अन्य किन्हीं रूपों में करता आया है। जैसे कि जीने, पोषण एवं सुरक्षा प्राप्त करने, विचरण करने, वाणी को अभिव्यक्त करने, प्राकृतिक उपहारों का उपभोग करने इत्यादि। राज्य व समाज ने तो इन अधिकारों को समय–समय पर मान्यता व सुरक्षा प्रदान कर इन्हें ओर अधिक परिष्कृत तथा व्यापक बनाता है। प्रसिद्ध राजनीतिक उदारवादी विचारक 'जॉन लॉक' का मत है कि ''मनुष्य को जीवन स्वतंत्रता व सम्पत्ति के अधिकार प्रकृति से प्राप्त हुए है। जिन्हें राज्य छीन नहीं सकता। इसी तरह सिसरो, वाल्टेयर, टॉमसपेन, ब्लेक स्टोन ने भी इस मत का समर्थन किया है मानव अधिकार प्रकृति प्रदत्त है। मानवाधिकारों की प्राकृतिक व्यवस्था एवं मान्यता के बावजूद निरंकुश राजतंत्रों के युग में राजनेताओं द्वारा मनुष्यों के अधिकार छीनने उनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार किये जाते थे। यह ऐसा युग था जब मनुष्यों के इन प्रकृति प्रदत्त मानवाधिकारों की परवाह किए बिना जरा–जरा से अपराधों के लिए उन्हें अमानुषिक यातनाएं देने और जुल्म शोषण अन्याय व अत्याचार उत्पीड़न का जीवन जीने को विवश किया जाता था।

इन निरंकुश व अत्याचारी शासन व्यवस्थाओं के विरूद्ध संघर्ष कर मानव अपने प्राकृतिक एवं मानवीय अधिकारों की रक्षा करने व इसका राजनेताओं को एहसास दिलाने के लिए अतीत में छटपटाता रहा है। मानवाधिकार आज विश्व में सबसे चर्चित शब्द बन चुका है, परन्तु इसका उद्भव मानव के साथ ही हुआ होगा। सृष्टि के काल चक्र में जब मानव समाज अस्तित्व में आया तभी से मानवाधिकारों की आवश्यकता अनुभव की गयी। इसके दर्शन प्राचीन यूनान व रोम के दर्शन और साहित्य में होते है। ग्रीक के नगर राज्यों और रोमन लॉ में भी कई मानवाधिकारों को स्वीकृत किया गया था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की गुरू–शिष्य परम्परा ने भी मानवाधिकारों को अपने दर्शन में स्थान प्रदान किया था। कहीं यह प्राकृतिक कानून माना गया तो कहीं यह प्राकृतिक अधिकार परन्तु यह सही है कि राज्य जैसी संस्था से पूर्व भी मानवाधिकारों को बल मिलने लगा था।इतिहास में कई उदाहरण एवं दृष्टांत अथवा प्रथाएं ऐसी देखने को मिलती है जहां मानव को दास के रूप में अमानवीयता का शिकार होना पड़ा या राजा के साथ उसके अनुचरों को भी दफनाया जाता रहा है तथा महिलाओं और वर्ग विशेष को इसका सामना करना पड़ा। राजा के बारे में यह माना जाता रहा है कि वह गलती नहीं कर सकता है। वही कुछ सामाजिक, आध्यात्मिक चिन्तकों ने मानव के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। भारतीय संस्कृति के प्रतीक वेदों और पुराणों में भी ऐसे सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये जो कि मानव के अधिकारों समता अथवा मानवीय मूल्यों को उजागर कहते है।

मानवाधिकार के बारे में समय–समय पर विभिन्न विचारों ने परिस्थितियोंवश आवश्यकतानुसार जन्म लिया है और जागरूकता का स्तर परिभाषित होता चला गया है। पश्चिमी जगत में मानवाधिकारों की गूंज बाईबिल के आख्यानों में एवं उससे पूर्व अरस्तू, प्लेटो व सुकरात के नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों में उठाई गई है। कालान्तर में हॉब्स, लॉक एवं रूसों या स्पिनोंजा के विभिन्न प्रतिपादित सिद्धान्तों में भी मानवाधिकार के दर्शन होते है। मानवाधिकारों का रूप चाहे कैसा भी रहा हो। मूलतः यह बात तय थी कि मानवाधिकार वे न्यूनतम आवश्यक अधिकार है जो कि मानव को मानव होने के नाते एवं मानव की गरिमा को बनाये रखने का अपना मर्यादित अस्तित्व कायम रखने के लिए उसे प्राप्त होने चाहिए।

मानव अधिकारों के बिना मनुष्य एक सुखद व अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। मानवाधिकार व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान व गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता आदि प्रदान करते है। दुर्बल वर्ग (अल्पसंख्यक, महिलाओं, बच्चों, पिछड़े, वर्गों, उत्पीड़ित वर्ग) के अधिकारों की रक्षा भी मानवाधिकारों से हो सकती है। इस वर्ग को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मानवाधिकारों के नाम पर ही प्राप्त हो सकता है।मानवाधिकार व्यक्ति को न्यायिक संरक्षण भी प्रदान करते है। एक साधारण व्यक्ति से लेकर जेलों में बन्द अपराधी, कैदी, पुलिस के उत्पीड़न के विरूद्ध तथा राज्य के निस्कामन के विरूद्ध भी व्यक्ति को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है।''अतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकारों का संरक्षण और विकास मानव की प्रथम आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. एम.ए. अंसारी : महिला और मानवाधिकार
2. डॉ. जी.एम. बाजपेयी : मानवाधिकार एवं पुलिस : एक समीक्षा
3. कृष्णा अरूयर बी.आर. : वेदपाल लॉ हाउस, इन्दौर 1986
4. देसाई, ए.आर. : रिप्रेशन एण्ड रेसिस्टेंस इन इंडिया, बम्बई 1990
5. सेनु गुप्ता, सुनीता सिंह : वर्क कल्चर इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, 1995
6. सुब्रमण्यिम एस, ह्यूमन राइट्स एण्ड दी पुलिस हैदराबाद, 1992
7. वाजपेयी, जी.एस. : पुलिस कस्टडी में अपराध, पुलिस विज्ञान

8. भगवती, पी.एन. : जर्नल ऑफ दी इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट, 1993

9. सारस्वत, अक्षेन्द्रनाथ : सामाजिक न्याय मानवाधिकार और पुलिस, 1998

10. नाटाणी, प्रकाश नारायण, मानवाधिकार और कर्तव्य, 2003

11. कटारिया, डॉ. सुरेन्द्र, मानवाधिकार सभ्य समाज एवं पुलिस, 2003

12. गौतम, रमेश प्रसाद मानव अधिकार : विविध आयाम, 2003

Corresponding Author

* **रोहिणी केलूत,** *शोधार्थी*

श्याम यूनिवर्सिटी, दौसा, राजस्थान

Email-pravirohi01@gmail.com, Mob.- 9461684909